"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2015— भाद्रपद 11, शक 1937

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक 8612/डी. 261/21-अ/प्रा./छ.ग./15.— भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग राजभाषा खण्ड के पत्र क्रमांक फा. स. 1(2)/2014 संशो./156, नई दिल्ली, दिनांक 18-08-2015 के अनुसरण में (1) दि व्हिसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011; (2) दि लोकपाल एण्ड लोकायुक्ताज एक्ट, 2013; (3) दि स्ट्रीट वेण्डर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलिहुड एण्ड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट, 2014; (4) दि रानी लक्ष्मी बाई सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2014; (5) दि फाइनेंस (नं. 2) एक्ट, 2014; (6) दि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिसमेंट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2014; (7) दि कान्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) एक्ट, 2014; और (8) दि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीस (अमेंडमेंट) एक्ट, 2014 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015/29 फाल्गुन, 1936 (शक)

दि व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2011; (2) दि लोकपाल एंड लोकायुक्ताज ऐक्ट, 2013; (3) दि स्ट्रीट वेन्डर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलिहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) ऐक्ट, 2014; (4) दि रानी लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2014; (5) दि फाइनेंस (नं॰ 2) ऐक्ट, 2014; (6) दि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिसमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (7) दि कान्स्टिट्यूशन (शेडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; और (8) दि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, March 20, 2015/*Phalguna* 29, 1936 *(Saka)*

The translation in Hindi of the following, namely:—The Whistle Blowers Protection Act, 2011; (2) The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013; (3) The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014; (4) The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014; (5) The Finance (No. 2) Act, 2014; (6) The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2014; (7) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2014; and (8) The Central Universities (Amendment) Act, 2014 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011

(2014 का अधिनियम संख्यांक 17)

[9 मई, 2014]

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

इस अधिनियम के उपबंधों का विशेष संरक्षा ग्रुप को लागू न होना।

2. इस अधिनियम के उपबंध संघ के सशस्त्र बलों को, जो विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप है, लागू नहीं होंगे। 1988 का 34

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''केन्द्रीय सतर्कता आयोग'' से केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है; 2003 का 45

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) संघ के मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री;

(ii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य राज्य सभा का सदस्य है तो राज्य सभा का सभापति या यदि ऐसा सदस्य लोक सभा का सदस्य है तो लोक सभा का अध्यक्ष;

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का मुख्यमंत्री;

(iv) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी मंत्री से भिन्न, उस विधान परिषद् या विधान सभा के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य विधान परिषद् का सदस्य है तो विधान परिषद् का सभापति या यदि ऐसा सदस्य विधान सभा का सदस्य है तो विधान सभा का अध्यक्ष;

(v) निम्नलिखित के संबंध में उच्च न्यायालय,—

(अ) कोई न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सिवाय) जिसके अंतर्गत स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के किसी सदस्य के रूप में किन्हीं न्यायनिर्णायक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया कोई व्यक्ति भी है; या

(आ) न्याय प्रशासन से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई समापक, रिसीवर या कमिश्नर भी है; या

(इ) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई वाद या विषय किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(vi) निम्नलिखित के संबंध में, केंद्रीय सतर्कता आयोग या कोई अन्य प्राधिकरण, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(अ) केंद्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति (मंत्रियों, संसद् सदस्यों, 1956 का 1

और संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के सिवाय); या

(आ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या संसद् या राज्य विधान-मंडल के निर्वाचनों के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और संसद् सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसा कोई व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार से या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत
1956 का 1 सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या

(उ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी केंद्रीय सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं आयोजित या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, का कोई पदधारी या कर्मचारी है जो केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(vii) निम्नलिखित के संबंध में, राज्य सतर्कता आयोग, यदि कोई है, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(अ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या

किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति (मंत्रियों, राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या 1956 का 1

(आ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या राज्य में नगरपालिका या पंचायतों या अन्य स्थानीय निकाय के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार से या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या 1956 का 1

(उ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं आयोजित या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, का कोई पदधारी या कर्मचारी है, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(viii) संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के संबंध में, ऐसा कोई प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी, जिसकी उनके संबंध में अधिकारिता है, जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ग) ''शिकायतकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकटन के संबंध में कोई शिकायत करता है;

(घ) ''प्रकटन'' से,—

1988 का 49 (i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है;

(ii) जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में, जिसके कारण सरकार को प्रमाण्य सदोष हानि होती है या लोक सेवक या किसी तृतीय पक्षकार को प्रमाण्य सदोष अभिलाभ उद्भूत होता है, कोई शिकायत अभिप्रेत है;

(iii) किसी लोक सेवक द्वारा किसी दांडिक अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है,

जो लोक सेवक के विरुद्ध लिखित में या इलैक्ट्रोनिक मेल द्वारा या इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश द्वारा की जाती है और जिसमें धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लोक हित प्रकटन सम्मिलित है;

(ङ) ''इलैक्ट्रोनिक मेल'' या ''इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश'' से किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संचार यंत्र पर, कोई संदेश या सृजित या पारेषित या प्राप्त सूचना अभिप्रेत है, जिसमें पाठ, आकृति, श्रव्य, दृश्य तथा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक सम्मिलित हैं, जो संदेश के साथ प्रेषित किए जाएं;

1956 का 1 (च) ''सरकारी कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(छ) ''अधिसूचना'' से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला कोई प्राधिकारी, निकाय या संस्था अभिप्रेत है;

1988 का 49 (झ) ''लोक सेवक'' का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) में है, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नहीं होगा;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

लोक हित प्रकटन

1923 का 19 **4.** (1) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक या किसी गैर-सरकारी संगठन सहित कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई लोक हित प्रकटन कर सकेगा। लोक हित प्रकटन की आवश्यकता।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी प्रकटन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित प्रकटन माना जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा तथा प्रकटन करने वाली शिकायत को सक्षम प्राधिकारी की ओर से ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राप्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक प्रकटन सद्भावपूर्वक किया जाएगा और प्रकटन करने वाला व्यक्ति एक व्यक्तिगत घोषणा करते हुए यह कथन करेगा कि युक्तियुक्त रूप से उसका यह विश्वास है कि उसके द्वारा प्रकट की गई जानकारी और उसमें अन्तर्विष्ट अभिकथन सारभूत रूप से सत्य है।

(4) प्रत्येक प्रकटन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जिसे विहित किया जाए, लिखित में या इलैक्ट्रोनिक मेल या इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश द्वारा किया जाएगा और उसमें सभी विशिष्टियां होंगी तथा उसके साथ समर्थनकारी दस्तावेज या अन्य सामग्री, यदि कोई हो, संलग्न होगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी, यदि उचित समझता है तो प्रकटन करने वाले व्यक्ति से और अधिक जानकारी या विशिष्टियां मंगा सकेगा।

(6) यदि प्रकटन में लोक हित प्रकटन करने वाले शिकायतकर्ता लोक सेवक की पहचान उपदर्शित नहीं की गई है या शिकायतकर्ता लोक सेवक की पहचान गलत या मिथ्या पाई जाती है तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक हित अथवा प्रकटन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अध्याय 3

लोक हित प्रकटन के संबंध में जांच

लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य।

5. (1) धारा 4 के अधीन किसी लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) शिकायतकर्ता या लोक सेवक से यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या वह, वही व्यक्ति या लोक सेवक है या नहीं जिसने प्रकटन किया है;

(ख) शिकायतकर्ता की पहचान को तब तक छिपाएगा जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकारी को लोक हित प्रकटन करते समय या अपनी शिकायत में या अन्यथा प्रकट न की हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी शिकायत प्राप्त करने और शिकायतकर्ता की पहचान छिपाने के पश्चात् सर्वप्रथम यह अभिनिश्चित करने के लिए कि प्रकटन का अन्वेषण करने के लिए आगे कार्यवाही करने का कोई आधार है या नहीं, सावधानीपूर्वक जांच, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर करेगा जो विहित किया जाए।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी की, या तो सावधानीपूर्वक जांच के परिणामस्वरूप या किसी जांच के बिना प्रकटन के आधार पर ही यह राय है कि प्रकटन का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है तो वह संगठन या प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष संबंधित बोर्ड या निगम या संबंधित कार्यालय से ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांगेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट की गई टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट को मांगते समय सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट नहीं करेगा और संबंधित संगठन या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को यह निदेश करेगा कि वह शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट न करे:

परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि लोक प्रकटन के आधार पर उपधारा (3) के अधीन उनसे टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांगने के प्रयोजन के लिए संगठन या प्राधिकरण, बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट करना आवश्यक हो गया है तो सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पूर्व लिखित सहमति से संगठन या प्राधिकरण या बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के ऐसे विभागाध्यक्ष को शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान उक्त प्रयोजन के लिए प्रकट कर सकेगा:

परंतु यह और कि यदि शिकायतकर्ता या लोक सेवक विभागाध्यक्ष को अपना नाम प्रकट किए जाने से सहमत नहीं होता है तो उस मामले में, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक अपनी शिकायत के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(5) संगठन या संबंधित कार्यालय का विभागाध्यक्ष ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक की, जिसने प्रकटन किया है, पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा।

(6) यदि जांच करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि—

(क) प्रकटन में अंतर्विष्ट तथ्य और अभिकथन तुच्छ या तंग करने वाले हैं; या

(ख) जांच के संबंध में कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं,

तो वह मामले को बंद कर देगा।

(7) उपधारा (3) में निर्दिष्ट टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि या तो जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया गया है या भ्रष्टाचार के अभिकथन सिद्ध हो गए हैं तो वह लोक प्राधिकारी को निम्नलिखित एक या अधिक उपाय करने की सिफारिश करेगा, अर्थात्:—

(i) संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करना;

(ii) यथास्थिति, भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग या विवेकाधिकार के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई हानि के प्रतितोष के लिए समुचित प्रशासनिक कदम उठाना;

(iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए समुचित प्राधिकारी या अभिकरण को सिफारिश करेगा;

(iv) दोष निवारक उपाय करने की सिफारिश करेगा;

(v) खंड (i) से (iv) के अंधीन न आने वाला ऐसा कोई अन्य उपाय जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(8) वह लोक प्राधिकारी, जिसे उपधारा (7) के अधीन कोई सिफारिश की जाती है, उस सिफारिश की प्राप्ति के तीन मास के भीतर या तीन मास से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात करे, उस सिफारिश पर कोई विनिश्चय करेगा:

परंतु यदि लोक प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश से सहमत नहीं होता है तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात्, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसके अंतिम निष्कर्ष के बारे में सूचित करेगा:

परंतु ऐसे किसी मामले में, जहां सक्षम प्राधिकारी जांच करने के पश्चात् मामले को बंद करने का विनिश्चय करता है, वहां वह मामले को बंद करने का आदेश पारित करने से पूर्व, यदि शिकायतकर्ता ऐसी वांछा करे तो शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच न किए जाने वाले विषय।

6. (1) यदि किसी प्रकटन में विनिर्दिष्ट विषय या उठाए गए किसी विवाद्यक का अवधारण प्रकटन में विनिर्दिष्ट विषयों या उठाए गए विवाद्यक पर विचार करने के पश्चात् किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा किया गया है, जो कि ऐसे विवाद्यक का अवधारण करने के लिए प्राधिकृत है, तब सक्षम प्राधिकारी प्रकटन के संबंध में उस सीमा तक विचार नहीं करेगा जिस सीमा तक ऐसे प्रकटन में ऐसे विवाद्यक पर पुन: विचार करने की मांग की गई हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकटन को ग्रहण नहीं करेगा या उसके संबंध में जांच नहीं करेगा—

1850 का 37 (क) जिसकी बाबत लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक और लोक जांच किए जाने का आदेश किया गया है; या

1952 का 60 (ख) ऐसे किसी विषय की बाबत जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकटन का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें ऐसा अभिकथन अंतर्ग्रस्त हो जिसके संबंध में शिकायत करने की तारीख से सात वर्ष के पश्चात् कार्रवाई किए जाने का अभिकथन किया गया है।

(4) इस अधिनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यदि कोई सद्भाविक कार्रवाई या सद्भाविक विवेकाधिकार (जिसके अंतर्गत प्रशासनिक और कानूनी विवेकाधिकार भी है) का प्रयोग किया है उसके विरुद्ध जांच करने के लिए सशक्त किया गया है।

अध्याय 4

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां।

7. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी, जांच के प्रयोजन के लिए, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उनकी राय में जानकारी देने या जांच के लिए सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या जांच में सहायता के लिए समर्थ है तो वह उसे उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी देने या ऐसे दस्तावेज, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(2) निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत आरम्भिक जांच भी है) के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी 1908 का 5
वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कोई कमीशन निकालना;

(च) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

(3) सक्षम प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए 1974 का 2
सिविल न्यायालय समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। 1860 का 45

(4) धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी या किसी भी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या उसको दी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने या अन्य निर्बन्धन की किसी बाध्यता का दावा, चाहे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित हो, सक्षम प्राधिकारी या लिखित रूप 1923 का 19
में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में किसी लोक सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा और सरकारी या कोई भी लोक सेवक किसी ऐसी जांच के संबंध में दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य देने की बाबत ऐसे किसी विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा जो किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अनुज्ञात है:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, सिविल न्यायालय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक कदम उठाएगा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की गई है या उसे जोखिम में नहीं डाला गया है।

कतिपय मामलों को प्रकटन से छूट।

8. (1) किसी व्यक्ति से इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर ऐसी कोई सूचना देने या ऐसा कोई उत्तर देने या कोई दस्तावेज या जानकारी पेश करने या इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई अन्य सहायता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे प्रश्न या दस्तावेज या जानकारी से

भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या न्यायालय का अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के संबंध में, जिसमें —

(क) संघ सरकार के मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो;

(ख) राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो,

और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के सचिव या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए जारी कोई प्रमाणपत्र, कि कोई जानकारी, उत्तर या किसी दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, आबद्धकर और निश्चायक होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

समुचित तंत्र पर सक्षम प्राधिकारी का अधीक्षण।

9. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उसे भेजे गए प्रकटनों के संबंध में विचार करने या जांच करने के प्रयोजनों के लिए एक समुचित तंत्र सृजित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, प्रकटनों पर विचार करने या जांच करने के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के अधीन सृजित तंत्र के कार्यकरण का अधीक्षण करेगा और समय-समय पर इसके उचित कार्यकरण के लिए ऐसे निदेश देगा, जो वह आवश्यक समझे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कतिपय मामलों में पुलिस प्राधिकारी आदि की सहायता लेना।

10. संबंधित संगठन से सावधानीपूर्वक जांच करने या जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन या पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे आवश्यक समझा जाए, से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रकटन के अनुसरण में विहित समय के भीतर जांच पूरी करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा।

अध्याय 5

प्रकटन करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षोपाय।

11. (1) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति या लोक सेवक, जिसने इस अधिनियम के अधीन प्रकटन किया है, मात्र इस आधार पर किन्हीं कार्यवाहियों के आरंभ द्वारा या अन्यथा उत्पीड़ित न किया जाए, कि ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक ने इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई प्रकटन किया था या जांच में सहायता दी थी।

(2) यदि किसी व्यक्ति को इस आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है या उत्पीड़ित किए जाने की संभावना है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत फाइल की थी या प्रकटन किया था या जांच में सहायता की थी, तो वह मामले में प्रतितोष के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित होने से संरक्षित करने या उसे उत्पीड़न से बचाने के लिए, यथास्थिति, संबद्ध लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को उपयुक्त निदेश दे सकेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को कोई ऐसा निदेश देने से पूर्व, शिकायतकर्ता और, यथास्थिति, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि ऐसी किसी सुनवाई में यह साबित करने का भार लोक प्राधिकारी पर होगा कि लोक प्राधिकारी की ओर से अभिकथित कार्रवाई उत्पीड़न नहीं है।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक निदेश उस लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आबद्धकर होगा, जिसके विरुद्ध उत्पीड़न का अभिकथन साबित हो गया है।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी किसी लोक सेवक के संबंध में उपधारा (2) के अधीन निदेश देने की शक्ति में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रकटन करने वाले लोक सेवक के प्रत्यावर्तन का निदेश देने की शक्ति होगी।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के निदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं करता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो तीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

साक्षियों और अन्य व्यक्तियों का संरक्षण।

12. यदि सक्षम प्राधिकारी की शिकायतकर्ता या साक्षियों के आवेदन पर या एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर यह राय है कि या तो शिकायतकर्ता या लोक सेवक या साक्षी या इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए सहायता देने वाले किसी व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकारी संबद्ध सरकारी प्राधिकारी (पुलिस सहित) को समुचित निदेश जारी करेगा, जो ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक या संबद्ध व्यक्तियों के संरक्षण के लिए अपने अभिकरणों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाएगा।

शिकायतकर्ता की पहचान का संरक्षण।

13. सक्षम प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए तब तक शिकायतकर्ता की पहचान और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या जानकारी को छिपाएगा, जब तक स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा इस प्रकार विनिश्चय नहीं किया जाता या न्यायालय के आदेश के आधार पर इसका प्रकट किया जाना या पेश किया जाना आवश्यक नहीं हो जाता।

अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति।

14. सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा प्रकटन करने के पश्चात् किसी भी समय, यदि उसकी यह राय है कि उक्त प्रयोजन के लिए किसी जांच के जारी रहने के दौरान किसी भ्रष्ट आचरण को रोकना आवश्यक है तो ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ऐसे आचरण को तत्काल रोकने के लिए ठीक समझे।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

अपूर्ण या गलत या भ्रामक टिप्पणियां या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने के लिए शास्ति।

15. जहां सक्षम प्राधिकारी की, संगठन या संबंधित पदधारी द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत पर रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या धारा 5 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की परीक्षा करते समय, यह राय है कि संगठन या संबंधित पदधारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या असद्भाव से रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है या जानते हुए अपूर्ण, गलत या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या ऐसे अभिलेख या सूचना को नष्ट किया है, जो प्रकटन की विषय-वस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है, तो वह,—

(क) जहां संगठन या संबंधित पदधारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या असद्भाव से रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है वहां ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपए तक की हो सकेगी, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां संगठन या संबंधित पदधारी ने, जानते हुए अपूर्ण, गलत या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या ऐसे अभिलेख या सूचना को नष्ट किया है, जो प्रकटन की विषय-वस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है, वहां ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परंतु किसी व्यक्ति पर तब तक कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने के लिए शास्ति।

16. कोई व्यक्ति, जो उपेक्षापूर्वक या असद्भाव से किसी शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करता है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

17. कोई व्यक्ति, जो असद्भाव से और जानते हुए कोई प्रकटन करता है कि यह गलत या मिथ्या या भ्रामक था तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मिथ्या या तुच्छ प्रकटन के लिए दंड।

18. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष को तब तक अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। कतिपय मामलों में विभागाध्यक्ष के लिए दंड।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसके द्वारा किया गया समझा जाता है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा।

19. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने के दायी होंगे: कंपनियों द्वारा अपराध।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

20. धारा 14 या धारा 15 या धारा 16 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा: उच्च न्यायालय को अपील।

परंतु उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''उच्च न्यायालय'' से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उद्भूत हुआ है।

21. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी जिसको इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सक्षम प्राधिकारी अवधारित करने के लिए सशक्त है, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा। अधिकारिता का वर्जन।

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना।

22. (1) कोई भी न्यायालय सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

प्रकटीकरणों पर रिपोर्ट।

23. (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपने क्रियाकलापों को करने के बारे में एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी:

परंतु जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी वार्षिक रिपोर्ट के तैयार करने के बारे में उपबंध किया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट में उस अधिनियम के अधीन क्रियाकलापों को करने के बारे में पृथक् भाग अंतर्विष्ट किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

24. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां सक्षम प्राधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होंगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन लिखित रूप में या समुचित इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा प्रकटीकरण की प्रक्रिया;

(ख) वह रीति, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी;

(ग) ऐसे अतिरिक्त विषय, जिनकी बाबत सक्षम प्राधिकारी, धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

26. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति।

27. सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है, उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

अधिसूचनाओं और नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

28. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, जारी की जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी या रखा

जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना या उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी/होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना या नियम अथवा विनियम नहीं बनाई/बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी/जाएगा। तथापि अधिसूचना या नियम अथवा विनियम के ऐसे परिवर्तन या बातिलकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना।

29. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी/रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

31. (1) तारीख 29 अप्रैल, 2004 के समसंख्यांक संकल्प द्वारा यथा संशोधित, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का संकल्प संख्यांक 371/12/2002-एवीडी-III, तारीख 21 अप्रैल, 2004 द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

(2014 का अधिनियम संख्यांक 1)

[1 जनवरी , 2014]

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने हेतु संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन किया है;

और स्वच्छ तथा उत्तरदायी शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार के कार्यों को रोकने और दंडित करने वाले प्रभावी निकायों में परावर्तित होती है;

अतः, अब, उक्त अभिसमय के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और भ्रष्टाचार के मामलों में तत्परता से तथा निष्पक्ष अन्वेषण और अभियोजन का उपबंध करने के लिए एक विधि अधिनियमित करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह भारत में और भारत के बाहर लोक सेवकों को लागू होगा।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

भाग 2

संघ के लिए लोकपाल

अध्याय 1

परिभाषाएं

परिभाषाएं। 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''न्यायपीठ'' से लोकपाल की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से लोकपाल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से,—

(i) प्रधानमंत्री के संबंध में, लोक सभा अभिप्रेत है;

(ii) मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री अभिप्रेत है;

(iii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में—

(अ) राज्य सभा के किसी सदस्य की दशा में, राज्य सभा का सभापति; और

(आ) लोक सभा के किसी सदस्य की दशा में, उस सदन का अध्यक्ष,

अभिप्रेत है;

(iv) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के किसी अधिकारी के संबंध में, उस मंत्रालय या विभाग का, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है, भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है;

(v) संसद् के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अध्यक्ष या सदस्यों के संबंध में ऐसे निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय का भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है;

(vi) संसद् के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के संबंध में ऐसे निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रधान अभिप्रेत है;

(vii) ऊपर उपखंड (i) से उपखंड (vi) के अंतर्गत न आने वाली किसी अन्य दशा में, ऐसा विभाग या प्राधिकरण, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है:

परंतु, यदि उपखंड (v) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य भी है तो,—

(अ) ऐसे सदस्य के राज्य सभा का सदस्य होने की दशा में, उस सदन का सभापति; और

(आ) ऐसे सदस्य के लोक सभा का सदस्य होने की दशा में, उस सदन का अध्यक्ष,

सक्षम प्राधिकारी होगा;

2003 का 45 (घ) ''केंद्रीय सतर्कता आयोग'' से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) ''शिकायत'' से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, की गई ऐसी कोई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
1988 का 49 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है;

1946 का 25 (च) ''दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन'' से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अभिप्रेत है;

1974 का 2 (छ) ''अन्वेषण'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्वेषण अभिप्रेत है;

(ज) ''न्यायिक सदस्य'' से लोकपाल का कोई ऐसा न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) ''लोकपाल'' से धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय अभिप्रेत है;

(ञ) ''सदस्य'' से लोकपाल का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) ''मंत्री'' से संघ का कोई मंत्री अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नहीं है;

(ठ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) ''प्रारंभिक जांच'' से इस अधिनियम के अधीन की गई कोई जांच अभिप्रेत है;

(ढ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) ''लोक सेवक'' से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई लोक सेवक नहीं है, जिसके संबंध में सेना
1950 का 45 अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और तटरक्षक
1950 का 46 अधिनियम, 1978 के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता प्रयोक्तव्य है
1957 का 62 या उन अधिनियमों के अधीन ऐसे लोक सेवक को प्रक्रिया लागू होती है;
1978 का 30

(त) ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) ''नियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''अनूसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

1988 का 49 (ध) ''विशेष न्यायालय'' से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भ्रष्टाचार
1988 का 49 निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उस अधिनियम में हैं।

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति निर्देश का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त तत्संबंधी अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति कोई निर्देश है।

अध्याय 2

लोकपाल की स्थापना

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ''लोकपाल'' नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी। लोकपाल की स्थापना।

(2) लोकपाल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) एक अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति, जो उपधारा (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है; और

(ख) उतने सदस्य, जो आठ से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे :

परंतु लोकपाल के सदस्यों के पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे।

(3) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;

(ख) न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह निर्दोष, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास भ्रष्टाचार-निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून की विशेषज्ञता है।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(i) संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा;

(ii) नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध का दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं होगा;

(iii) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा;

(iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होगा;

(v) ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसको संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,

और वह न्यास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सहबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तदनुसार, अपना पदग्रहण करने से पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि,—

(क) वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; या

(ख) वह कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा; या

(ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति करने से प्रविरत हो जाएगा।

चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।

4. (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी,—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष—सदस्य;

(ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता—सदस्य;

(घ) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश—सदस्य;

(ङ) ऊपर खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता—सदस्य।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है।

(3) चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए कम से कम सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की और जिनके पास भ्रष्टाचार-निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता है, एक खोजबीन समिति का गठन करेगी:

परंतु खोजबीन समिति के पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे :

परंतु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर विचार कर सकेगी;

(4) चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति से स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यावधि, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना।

5. राष्ट्रपति, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व, इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या कराएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

6. अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की सिफारिशों पर, राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में पद धारण करेगा :

परंतु,—

(क) वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) उसको धारा 37 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

7. (i) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं;

(ii) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हैं :

परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से—

(क) उस पेंशन की रकम को; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम को, घटा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन।

8. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात्,—

(i) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

(ii) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, अपात्र होगा;

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा;

(iv) पद त्याग करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद् के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि, सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

9. (1) अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा, उसके पद पर कोई रिक्ति होने की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, ज्येष्ठतम सदस्य को, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य, जिसको राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों को पुन: ग्रहण नहीं करता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद ।

10. (1) लोकपाल का सचिव, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा, जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) लोकपाल के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति, लोकपाल के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसको अध्यक्ष निदेश करे :

परंतु राष्ट्रपति, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्ति की जाएगी।

(4) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो लोकपाल द्वारा तत्प्रयोजनार्थ बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से है, राष्ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

अध्याय 3

जांच खंड

11. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध की, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, प्रारंभिक जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच खंड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा : जांच खंड।

1988 का 49

परंतु केंद्रीय सरकार, लोकपाल द्वारा जांच खंड का गठन किए जाने के समय तक, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच करने के लिए अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद, जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारंभिक जांच करने में लोकपाल की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, जांच खंड के ऐसे अधिकारियों को, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो धारा 27 के अधीन लोकपाल के जांच खंड को प्रदत्त की गई हैं।

अध्याय 4

अभियोजन खंड

12. (1) लोकपाल, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लोकपाल द्वारा किसी शिकायत के संबंध में, लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए, एक अभियोजन खंड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष अभियोजन निदेशक होगा : अभियोजन खंड।

परंतु केंद्रीय सरकार, लोकपाल द्वारा अभियोजन खंड का गठन किए जाने के समय तक, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए, अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद, जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) अभियोजन निदेशक, लोकपाल द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने के पश्चात्, विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मामला फाइल करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के संबंध में सभी आवश्यक उपाय करेगा।

1988 का 49

1974 का 2

(3) उपधारा (2) के अधीन मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा।

अध्याय 5

लोकपाल के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना

13. लोकपाल के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और लोकपाल द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियां उस निधि के भागरूप होंगी। लोकपाल के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना।

अध्याय 6

जांच के संबंध में अधिकारिता

14. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल, निम्नलिखित के संबंध में किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच करेगा या जांच कराएगा, अर्थात्:— प्रधान मंत्री, मंत्रियों, संसद् सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ अधिकारियों और पदधारियों का लोकपाल की अधिकारिता के अंतर्गत होना।

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रधान मंत्री है या रहा है :

परंतु लोकपाल, प्रधान मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की उस दशा में जांच नहीं करेगा,—

(i) जहां तक वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित है;

(ii) जब तक लोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिलकर बनी उसकी पूर्ण न्यायपीठ जांच आरंभ करने के बारे में विचार नहीं करती है और उसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं करते हैं :

परंतु यह और कि ऐसी कोई जांच बंद कमरे में कराई जाएगी और यदि लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज होने योग्य है तो जांच के अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे;

(ख) कोई व्यक्ति जो संघ का मंत्री है या रहा है;

(ग) कोई व्यक्ति जो संसद् के किसी भी सदन का सदस्य है या रहा है;

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की है; 1988 का 49

(ङ) धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदधारी या उसके समतुल्य पदधारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की है; 1988 का 49

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा है :

परन्तु खंड (घ) में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने संघ के कार्यों के संबंध में या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय में सेवा की है, किन्तु राज्य के कार्यों के संबंध में या राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में सेवारत है, लोकपाल और उसके जांच खंड या अभियोजन खंड के अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों की बाबत अधिकारिता केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही होगी;

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है;

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपए से अधिक या ऐसी उच्चतर राशि का, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है। 2010 का 42

स्पष्टीकरण—खंड (च) और खंड (छ) के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई इकाई या संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसाइटी, न्यास, व्यक्ति-संगम, भागीदारी, एकल स्वत्वधारिता, सीमित दायित्व वाली भागीदारी (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं), उन खंडों के अंतर्गत आने वाली इकाइयां होंगी :

1988 का 49 परन्तु इस खंड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और तदनुसार, उस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, संसद् के किसी भी सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध, उसके द्वारा संसद् में या संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच नहीं करेगा।

(3) लोकपाल, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध 1988 का 49 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या रिश्वत लेने या षड्यंत्र करने के कार्य में सम्मिलित है :

परन्तु किसी राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत किसी व्यक्ति की दशा में, राज्य सरकार की सहमति के बिना, इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकपाल को कोई शिकायत 1952 का 60 की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबंधित होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण कर रहा था या सेवारत रहा था।

किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना।

1988 का 49 **15.** यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व, किसी न्यायालय या संसद् के किसी सदन की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष जारी रहेगी।

लोकपाल की न्यायपीठों का गठन।

16. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) लोकपाल की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) कोई न्यायपीठ, अध्यक्ष, ऐसे दो या अधिक सदस्यों से, जो अध्यक्ष ठीक समझे, गठित की जा सकेगी;

(ग) प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतया कम से कम एक न्यायिक सदस्य होगा;

(घ) जहां कोई न्यायपीठ, अध्यक्ष से मिलकर बनती है, वहां ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी;

(ङ) जहां कोई न्यायपीठ, न्यायिक सदस्य और ऐसे गैर-न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है जो अध्यक्ष नहीं है, वहां ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी;

(च) लोकपाल की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होंगी, जो लोकपाल, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) लोकपाल ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा जिनके संबंध में लोकपाल की प्रत्येक न्यायपीठ अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को समय-समय पर न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी।

(4) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि वह मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा ऐसी न्यायपीठ को, जिसको अध्यक्ष ठीक समझे, यथास्थिति, अंतरित किया जा सकेगा या अंतरित किए जाने के लिए उसको निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण।

17. जहां न्यायपीठें गठित की जाती हैं वहां अध्यक्ष, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, न्यायपीठों के बीच लोकपाल के कार्यों का वितरण करने के बारे में उपबंध कर सकेगा और ऐसे विषयों के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष की मामले अंतरित करने की शक्ति।

18. अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।

बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाना।

19. यदि समसंख्या में सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद है तो वे उस प्रश्न या प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो या तो स्वयं उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर सुनवाई करेगा या लोकपाल के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न या उन प्रश्नों पर सुनवाई के लिए मामले को निर्देशित करेगा और उस प्रश्न या उन प्रश्नों को लोकपाल के उन सदस्यों की बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी।

अध्याय 7
प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के संबंध में प्रक्रिया

शिकायतों और प्रारंभिक जांच तथा अन्वेषण से संबंधित उपबंध।

20. (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यदि वह आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह—

(क) अपने जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकेगा; या

(ख) जहां कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, वहां किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकेगा :

परंतु यदि लोकपाल ने, प्रारंभिक जांच में कार्यवाही करने का विनिश्चय किया है तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समूह 'क' या समूह 'ख' या समूह 'ग' या समूह 'घ' के लोक सेवकों के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या शिकायतों के किसी प्रवर्ग या किसी शिकायत को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग 2003 का 45
को निर्दिष्ट करेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, पहले परंतुक के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई शिकायतों के संबंध में, समूह 'क' और समूह 'ख' के लोक सेवकों की बाबत प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार लोकपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समूह 'ग' और समूह 'घ' के लोक सेवकों की दशा में आयोग केन्द्रीय सतर्कता आयोग
अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा : 2003 का 45

परंतु यह भी कि लोकपाल, खंड (ख) के अधीन किसी अन्वेषण का आदेश करने के पूर्व, लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा जिससे यह अवधारण किया जा सके कि क्या अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है :

परन्तु यह भी कि किसी अन्वेषण के पूर्व लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगना, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अन्तर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हो, हस्तक्षेप नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच खंड या कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है), लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में किए गए अभिकथनों पर कोई प्रारंभिक जांच करेगा और संगृहीत सामग्री, सूचना और दस्तावेजों के आधार पर टिप्पणियां मांगेगा और संबंधित लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) लोकपाल के तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) से उपधारा (2) के अधीन प्राप्त

प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह विनिश्चित करेगी कि क्या प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और निम्नलिखित कार्रवाइयों में से एक या अधिक के संबंध में कार्यवाही करेगी, अर्थात्:—

(क) यथास्थिति, किसी अभिकरण या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों का या किसी अन्य समुचित कार्रवाई का आरंभ किया जाना;

(ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाइयों का बंद किया जाना और धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच, साधारणतया, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) यदि लोकपाल, शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को यथासंभव शीघ्रता के साथ अन्वेषण करने और अपने आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने का निदेश देगा :

परंतु लोकपाल, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को एक बार में, छह मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकेगा।

1974 का 2 (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) लोकपाल द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में उस धारा के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।

(7) लोकपाल के तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ, उसके द्वारा उपधारा (6) के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और सक्षम प्राधिकारी तथा लोक सेवक की टिप्पणियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्—

(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किए जाने की मंजूरी प्रदान कर सकेगी या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दे सकेगी;

(ख) सक्षम प्राधिकारी को संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने का निदेश दे सकेगी।

(8) लोकपाल, आरोप पत्र फाइल किए जाने पर उपधारा (7) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात्, अपने अभियोजन खंड या किसी अन्वेषण अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को, अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के संबंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा।

(9) लोकपाल, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(10) लोकपाल की वेबसाइट पर समय-समय पर और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या की प्रास्थिति जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।

(11) लोकपाल, ऐसे मूल अभिलेखों और साक्ष्यों को प्रतिधारित कर सकेगा जिनके उसके द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण या संचालन की प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

(12) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी हैं) की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

उन व्यक्तियों को सुना जाना जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

21. यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकपाल,—

(क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

तो लोकपाल, उस व्यक्ति को प्रारंभिक जांच में सुनवाई का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

लोकपाल द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

22. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, लोकपाल या अन्वेषण अभिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में ऐसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अभियोजन प्रारंभ करने के लिए मंजूरी देने की लोकपाल की शक्ति।

23. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1974 का 2
1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, 1946 का 25
लोकपाल को धारा 20 की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति 1988 का 49
होगी।

(2) किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जिस पर उसके द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या तात्पर्यित रूप से कार्य करते हुए अभिकथित रूप से कोई अपराध करने का अभिकथन किया गया है, उपधारा (1) के अधीन कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा और कोई न्यायालय, लोकपाल की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण कर रहे हैं और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया उसमें विनिर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जो प्रधान मंत्री, मंत्री या संसद् सदस्य है, अन्वेषण पर कार्रवाई।

24. जहां अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात्, लोकपाल के निष्कर्षों से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध का किया जाना प्रकट होता है, वहां लोकपाल, विशेष न्यायालय 1988 का 49
में मामला फाइल कर सकेगा और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

अध्याय 8
लोकपाल की शक्तियां

लोकपाल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां।

25. (1) लोकपाल को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 और केन्द्रीय 1946 का 25
सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन 2003 का 45
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन पर अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्तियां होंगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल, ऐसी किसी रीति से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) से, जिसको अन्वेषण कार्य सौंपा गया है, किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति से अन्वेषण करने और उसको निपटाने की अपेक्षा की जाए।

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग, धारा 20 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकपाल को ऐसे अंतराल पर, जो लोकपाल निदेश दे, विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त करने पर लोकपाल, ऐसे मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगा।

(3) लोकपाल द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने वाले उसके किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा उसको निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने के लिए, सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न अधिवक्ताओं के एक पैनल की नियुक्ति कर सकेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर ऐसी निधियां उपलब्ध कराएगी जिसकी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा, उसको लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों का प्रभावी अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा की जाए और निदेशक ऐसे अन्वेषण के संचालन में उपगत व्यय के लिए उत्तरदायी होगा।

तलाशी और अभिग्रहण।

26. (1) यदि लोकपाल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, किसी स्थान में छिपाया गया है तो वह ऐसे किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को, जिसको अन्वेषण कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी दस्तावेज का इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जिसको प्राधिकृत किया जाए, प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को इस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु जहां किसी दस्तावेज को वापस किया जाना अपेक्षित है, वहां लोकपाल या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे दस्तावेज की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात् उसको वापस कर सकेगा।

कतिपय मामले में लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियां होना।

27. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए लोकपाल के जांच खंड को किसी, वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:— (1908 का 5)

(i) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(iii) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(v) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना :

परंतु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा, जहां लोकपाल की राय में साक्षी, लोकपाल के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है; और

(vi) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

(2) लोकपाल के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। 1860 का 45

केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति।

28. (1) लोकपाल, कोई प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) ऐसी जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है, लोकपाल के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा कर सकेगा।

(3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करेगा और लोकपाल को, ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आस्तियों की अनंतिम कुर्की।

29. (1) जहां लोकपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा, कारण है कि—

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार के कोई आगम हैं;

(ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अपराध करने का अभियुक्त है; और

(ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से संव्यवहार किए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकती हैं,

वहां लोकपाल या प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति से, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और लोकपाल तथा अधिकारी को उस अनुसूची के नियम 1 के उपनियम (ङ) के अधीन अधिकारी समझा जाएगा। 1961 का 43

(2) लोकपाल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के ठीक पश्चात् आदेश की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री सहित, एक मुहरबंद लिफाफे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश को विस्तारित कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए, जो न्यायालय ठीक समझे, रख सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगा।

(4) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में ''हितबद्ध व्यक्ति'' के अंतर्गत संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति हैं।

30. (1) लोकपाल, जब वह धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर अपने अभियोजन खंड को विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते हुए आवेदन फाइल करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का निदेश देगा। आस्तियों की कुर्की की पुष्टि।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है, तो विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए आदेश कर सकेगा।

(3) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात् उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपत्ति को, ऐसी संपत्ति से फायदों सहित, जो कुर्की की अवधि के दौरान प्रोद्भूत हुए हों, संबंधित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(4) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात्, भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो 1988 का 49 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध से संबंधित आगमों को अधिहृत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार में किसी बैंक या वित्तीय संस्था को किसी शोध्य ऋण को छोड़कर किसी विल्लंगम या पट्टाधृति हित से मुक्त रूप में निहित होंगे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''बैंक'', ''ऋण'' और ''वित्तीय संस्था'' पदों 1993 का 51 के वही अर्थ होंगे जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (घ), खंड (छ) और खंड (ज) में हैं।

31. (1) धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां विशेष न्यायालय के पास, प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है या उसका यह समाधान हो गया है कि आस्तियां, आगम, प्राप्तियां और फायदे, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त किए गए हैं, वहां वह उसके दोषमुक्त किए जाने तक ऐसी आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों के अधिहरण को प्राधिकृत कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों का अधिहरण।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण का कोई आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां लोक सेवक को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उपधारा (1) के अधीन अधिहृत आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को ऐसे लोक सेवक को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को वापस किया जाना संभव नहीं है तो ऐसे लोक सेवक को इस प्रकार अधिहृत किए गए धन सहित उसकी कीमत का, अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित ब्याज के साथ संदाय किया जाएगा।

32. (1) जहां लोकपाल का, भ्रष्टाचार के अभिकथनों की प्रारंभिक जांच करते समय, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है, कि— भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबद्ध लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की लोकपाल की शक्ति।

(i) प्रारंभिक जांच करते समय धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी प्रारंभिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ii) ऐसे लोक सेवक से साक्ष्य को नष्ट करने या किसी रूप में बिगाड़ने या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है,

वहां, लोकपाल, ऐसे लोक सेवक को, ऐसी अवधि तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा धारित पद से स्थानांतरित या निलंबित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सामान्यतया, उपधारा (1) के अधीन की गई लोकपाल की सिफारिश को, ऐसे किसी मामले में जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना साध्य नहीं है, वहां कारणों को लेखबद्ध करते हुए, स्वीकार करेगी, अन्यथा नहीं।

प्रारंभिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किए जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकपाल की शक्ति।

33. लोकपाल, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी ऐसे लोक सेवक को, जिसको किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, निम्नलिखित के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा—

(क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसकी संरक्षा करना; या

(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकना; या

(ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्यसंक्रामित करने से रोकना।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

34. लोकपाल, साधारण या विशेष लिखित, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा।

अध्याय 9
विशेष न्यायालय

केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को गठित किया जाना।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, भ्रष्याचार निवारण अधिनियम, 1988 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने लोकपाल द्वारा सिफारिश किए जाएं। 1988 का 49

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे:

परंतु यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं तीन मास से अनधिक की और अवधि के भीतर या ऐसी और अवधियों के भीतर जो तीन मास से अधिक की नहीं होंगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, किन्तु दो वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र।

36. (1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के अनुक्रम में, इस निमित्त लोकपाल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है, एक अनुरोध पत्र, निम्नलिखित के लिए ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए संविदाकारी राज्य में किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी को जारी कर सकेगा,— 1974 का 2

(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करना;

(ii) ऐसे उपाय करना, जो विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध पत्र में विनिर्दिष्ट करे; और

(iii) ऐसे लिए गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्यों को, ऐसा अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करना।

(2) अनुरोध पत्र, ऐसी रीति से पारेषित किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विहित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज को प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय 10

लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों और पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और उनका निलंबन।

37. (1) लोकपाल, अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को संसद् के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा, किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात् कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राष्ट्रपति, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को कोई निर्देश किया गया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश या किए गए अंतरिम आदेश की प्राप्ति पर पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के ऐसे निर्देश पर अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित न कर दिए गए हों।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा सदस्य,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है; या

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

(5) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप में अन्यथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या वह किसी रूप में उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

लोकपाल के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें।

1988 का 49

38. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए लोकपाल के अधीन या उससे सहयुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी या अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) के विरुद्ध किए गए अभिकथन या दोषपूर्ण कार्य के संबंध में प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) लोकपाल, शिकायत या अभिकथन की जांच, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(3) लोकपाल अथवा लोकपाल में नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है, कि—

(क) जांच करते समय लोकपाल या उसमें नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ख) लोकपाल या उसमें नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा साक्ष्य को नष्ट करने या किसी रूप में बिगाड़ने या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है,

तो लोकपाल, आदेश द्वारा, लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकपाल में नियुक्त या उससे सहयुक्त ऐसे अभिकरण को उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा।

(4) जांच के पूरा हो जाने पर, यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध या किसी दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, तो वह ऐसी जांच के पूरा हो जाने की पंद्रह दिन की अवधि के भीतर लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकपाल में नियुक्त या उससे सहयुक्त ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को अभियोजित करने का आदेश करेगा और संबंधित पदधारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगा : 1988 का 49

परंतु ऐसा कोई आदेश, लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें नियुक्त या उससे सहयुक्त ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 11

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली।

39. यदि कोई लोक सेवक, विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह, ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक न किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण और जिनके लिए उसको सिद्धदोष ठहराया गया है, राजकोष को हुई हानि का, यदि कोई हो, निर्धारण कर सकेगा तथा इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए ऐसे लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय हो, वसूली का आदेश कर सकेगा: 1988 का 49

परंतु यदि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित हानि, इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के हिताधिकारी या हिताधिकारियों के साथ षड्यंत्र के अनुसरण में हुई थी, तो ऐसी हानि, यदि इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय है, आनुपातिक रूप से ऐसे हिताधिकारी या हिताधिकारियों से भी वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट।

40. लोकपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, अगले वित्तीय वर्ष के लिए, लोकपाल की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसको केन्द्रीय सरकार को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

41. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा, संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, लोकपाल को ऐसी धनराशियां अनुदत्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकपाल के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी हैं, संदत्त की जानी अपेक्षित हैं।

लेखाओं का वार्षिक विवरण।

42. (1) लोकपाल, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लोकपाल के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन लोकपाल के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित

वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकपाल के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकपाल के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उसको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियां, आदि प्रस्तुत करना।

43. लोकपाल, केन्द्रीय सरकार को ऐसी विवरणियां और विवरण तथा लोकपाल की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति से, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 13
आस्तियों की घोषणा

आस्तियों की घोषणा।

44. (1) प्रत्येक लोक सेवक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित रीति से अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।

(2) कोई लोक सेवक, उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा,—

(क) ऐसी आस्तियां, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथक्तः, स्वामी या हिताधिकारी हैं;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी तथा अपने आश्रित बालकों के दायित्व।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देगा।

(4) प्रत्येक लोक सेवक, प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

(6) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक ऐसे मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं, जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक् साधन नहीं हैं और अपनी जीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।

कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा।

45. यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित नहीं हैं,—

(क) अपनी आस्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है; या

(ख) ऐसी आस्तियों की बाबत भ्रामक सूचना देता है और उसके कब्जे में ऐसी आस्तियां पाई जाती हैं जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बाबत भ्रामक सूचना दी गई थी,

तो ऐसी आस्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और यह उपधारणा की जाएगी कि वे भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लोक सेवक को ऐसा न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की आस्तियों की बाबत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।

अध्याय 14

अपराध और शास्तियां

मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय।

46. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या और तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत करेगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी विशेष न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) कोई भी विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, या लोकपाल द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन, लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से संबंधित सभी व्ययों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति की [जो कोई व्यष्टि या सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं)], इस अधिनियम के अधीन मिथ्या शिकायत करने के लिए, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकदमा लड़ने संबंधी विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशेष न्यायालय अवधारित करे प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, सद्भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ''सद्भावपूर्वक'' पद से भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन सम्यक् सतर्कता, सावधानी और उत्तरदायित्व के भाव से सद्भावपूर्वक या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा विश्वास किया गया या किया गया कोई कार्य अभिप्रेत है। 1860 का 45

सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत किया जाना।

47. (1) जहां धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास के कारोबार या कार्यों या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उस सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक या उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों का संगम या न्यास भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी , जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अध्याय 15
प्रकीर्ण

48. लोकपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकपाल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति, ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति, ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जहां लोकपाल की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारण सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। लोकपाल की रिपोर्ट।

1988 का 49 49. लोकपाल, ऐसे मामलों में, जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। लोकपाल का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

50. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या उसके पदीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी लोक सेवक के विरुद्ध न होंगी। किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

51. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां लोकपाल के विरुद्ध या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होंगी। अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

52. लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह
1860 का 45 समझा जाएगा कि वे, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं। लोकपाल के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

53. लोकपाल, ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, यदि शिकायत, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी शिकायत में उल्लिखित अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, सात वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् की जाती है। कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना।

54. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका लोकपाल इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है। अधिकारिता का वर्जन।

55. लोकपाल, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष कोई शिकायत फाइल की गई है, लोकपाल के समक्ष उसके मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है, विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। विधिक सहायता।

56. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

57. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में। इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।

58. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को उसमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा। कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

59. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट शिकायत का प्ररूप;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन खोजबीन समिति की अवधि, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति;

(ग) ऐसा पद या ऐसे पद, जिनके संबंध में धारा 10 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी;

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए लोकपाल को, धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (vi) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;

(ङ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति ;

(च) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोध पत्र पारेषित करने की रीति;

(छ) धारा 40 के अधीन लोकपाल की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने का प्ररूप और समय;

(ज) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप ;

(झ) धारा 43 के अधीन विशिष्टियों सहित विवरणियां और विवरण तैयार करने का प्ररूप और रीति तथा समय;

(ञ) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन वार्षिक विवरणी, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हो, तैयार करने का प्ररूप और समय;

(ट) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप;

(ठ) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी लोक सेवक को धारा 45 के परंतुक के अधीन आस्तियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा;

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको विहित किया जाना है या जिसको विहित किया जाए।

विनियम बनाने की लोकपाल की शक्ति।

60. (1) लोकपाल, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें और ऐसे विषय, जिनके लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशन से है, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित है;

(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन लोकपाल की न्यायपीठों के अधिविष्ट होने का स्थान;

(ग) लोकपाल की वेबसाइट पर धारा 20 की उपधारा (10) के अधीन लंबित या निपटाई गई सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रतिनिर्देश से अभिलेखों और साक्ष्य सहित, प्रदर्शित करने की रीति;

(घ) धारा 20 की उपधारा (11) के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने की रीति और प्रक्रिया;

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

61. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

62. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

भाग 3

लोकायुक्त की स्थापना

लोकायुक्त की स्थापना।

63. प्रत्येक राज्य, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए, यदि ऐसे किसी निकाय को स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपने राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगा।

अनुसूची

[धारा 58 देखिए]

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन
(1952 का 60)

धारा 3 का संशोधन।

धारा 3 की उपधारा (1) में, ''समुचित सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

भाग 2

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का संशोधन
(1946 का 25)

धारा 4क का संशोधन।

1. धारा 4क में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करेगी,—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष;

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता—सदस्य;

(ग) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश—सदस्य।'';

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 4खक का अंत:स्थापन।

2. धारा 4ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभियोजन निदेशक।

''4खक. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए एक अभियोजन निदेशालय होगा जिसका प्रमुख एक निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के समग्र अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर करेगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवा शर्तों से संबंधित नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक अपना पद धारण करता रहेगा।''।

धारा 4ग का संशोधन।

3. धारा 4ग में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में निदेशक के सिवाय, पुलिस अधीक्षक और ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ऐसे अधिकारियों की सेवाधृति के विस्तारण या कम किए जाने की सिफारिश भी करेगी,—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त—अध्यक्ष;

(ख) सतर्कता आयुक्त—सदस्य;

(ग) गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव—सदस्य;

(घ) कार्मिक विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव—सदस्य:

परंतु समिति, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक से परामर्श करेगी।''।

भाग 3

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन

(1988 का 49)

1. धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 12 में,— धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 12 का संशोधन।

(क) ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, क्रमश: ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, क्रमश: ''सात वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 13 की उपधारा (2) में,— धारा 13 का संशोधन।

(क) ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''चार वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''सात वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन।

(क) ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''सात वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''दस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 15 में, ''जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 15 का संशोधन।

5. धारा 19 में, ''निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना'' शब्दों के पूर्व, '', जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 19 का संशोधन।

भाग 4

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

(1974 का 2)

धारा 197 में, ''न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान'' शब्दों के पश्चात्, '', जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 197 का संशोधन।

भाग 5

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का संशोधन

(2003 का 45)

1. धारा 2 के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

'(घक) ''लोकपाल'' से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित लोकपाल अभिप्रेत है;'।

2. धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 8 का संशोधन।

''(ग) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन लोकपाल द्वारा किए गए निर्देश पर, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे:—

(i) केन्द्रीय सरकार की समूह ख, समूह ग और समूह घ सेवाओं के सदस्य;

(ii) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के पदधारी या कर्मचारिवृंद जिनको वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:

परंतु उस समय तक, जब तक इस खंड के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, उक्त निगमों, कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी पदधारी या कर्मचारिवृंद को, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति होना समझा जाएगा।''।

नई धारा 8क और धारा 8ख का अंत:स्थापन।

3. धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लोक सेवकों के संबंध में प्रारंभिक जांच पर कार्रवाई।

''**8क.** (1) जहां, केन्द्रीय सरकार के समूह ग और समूह घ पदधारियों से संबंधित लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रारंभिक जांच की समाप्ति के पश्चात् आयोग के निष्कर्षों से, लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन 1988 का 49 भ्रष्टाचार से संबंधित आचरण नियमों के प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन का प्रकटन होता है, वहां आयोग, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्रवाइयां किए जाने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात्:—

(क) यथास्थिति, किसी अभिकरण या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण कराया जाना;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ कराया जाना;

(ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों को बंद कराया जाना तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच, साधारणतया, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

लोक सेवकों के संबंध में अन्वेषण पर कार्रवाई।

8ख. (1) यदि, आयोग, धारा 8क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शिकायत का अन्वेषण करने के लिए कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण को (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) यथासंभव शीघ्रता के साथ अन्वेषण करने और उसके आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने तथा आयोग को अपने निष्कर्षों के साथ अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देगा:

परंतु आयोग उक्त अवधि को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में किसी बात के होते हुए भी, कोई 1974 का 2 अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) आयोग द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) आयोग, उपधारा (2) के अधीन किसी अभिकरण से (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) उसको प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगा और निम्नलिखित के बारे में विनिश्चय कर सकेगा:—

(क) लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल करना;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ करना।''।

4. धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 11क का अंत:स्थापन।

"11क. (1) एक जांच निदेशक होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसको लोकपाल द्वारा आयोग को निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच निदेशक।

(2) केन्द्रीय सरकार, जांच निदेशक को उतने अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित हों।"।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 7)

[4 मार्च, 2014]

नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय क्रियाकलापों का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ और उपबंध ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

1989 का 24

(4) इस अधिनियम के उपबंध रेल अधिनियम, 1989 के अधीन रेल के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी भूमि, किन्हीं परिसरों और रेलगाड़ियों को लागू नहीं होंगे ।

186GI.—12

परिभाषाएं । 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से—

(i) बिना विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित विषयों की बाबत, केंद्रीय सरकार ;

(ii) विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित विषयों की बाबत, यथास्थिति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार या पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ;

(iii) किसी राज्य से संबंधित विषयों की बाबत, राज्य सरकार,

अभिप्रेत है ;

(ख) "धारण क्षमता" से पथ विक्रेताओं की वह अधिकतम संख्या अभिप्रेत है जिसके लिए किसी विक्रय जोन में स्थान प्रदान किया जा सकता है और जिसे शहरी विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अवधारित किया गया है ;

(ग) "स्थानीय प्राधिकारी" से, यथास्थिति, कोई नगर निगम या कोई नगरपालिक परिषद् या नगर पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी बोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने और पथ विक्रय को विनियमित करने के लिए किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए हकदार हो और इसके अंतर्गत ऐसा "योजना प्राधिकारी" भी है जो उस नगर या शहर में भूमि के उपयोग को विनियमित करता है ; 2006 का 41

(घ) "चल विक्रेता" से ऐसे पथ विक्रेता अभिप्रेत हैं जो अभिहित क्षेत्र में अपने माल और अपनी सेवाओं का विक्रय करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते-फिरते विक्रय क्रियाकलाप करते हैं ;

(ङ) "प्राकृतिक बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विक्रेता और क्रेता उत्पादों या सेवाओं के विक्रय और क्रय के लिए परंपरागत रूप से एकत्र होते हैं और जिसे शहरी विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अवधारित किया गया है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(छ) "योजना प्राधिकरण" से नगर विकास प्राधिकरण या समुचित सरकार द्वारा किसी नगर या शहर में पदाभिहित ऐसा कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो मास्टर प्लान या विकास योजना या आंचलिक योजना या अभिन्यास योजना अथवा किसी अन्य ऐसी स्थान विषयक योजना में, जो, यथास्थिति, लागू नगर और ग्राम योजना अधिनियम या नगर विकास अधिनियम अथवा नगर निगम अधिनियम के अधीन विधिक रूप से प्रवर्तनीय है, किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए क्षेत्रों के यथावत विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है ;

(ज) "विहित" से समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "स्कीम" से धारा 38 के अधीन समुचित सरकार द्वारा विरचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(ट) "स्थिर विक्रेता" से ऐसे पथ विक्रेता अभिप्रेत हैं जो किसी विनिर्दिष्ट अवस्थान पर नियमित आधार पर विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करते हैं ;

(ठ) "पथ विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पथ, गली, पार्श्व मार्ग, पैदल पथ, सड़क की पटरी, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान अथवा प्राइवेट क्षेत्र में किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं, माल, सामान, खाद्य पदार्थ या सौदा बेचने अथवा जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत हाकर, खोमचे वाला, बैठकर बेचने वाला और ऐसे अन्य सभी समानार्थक पद आते हैं जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष के आपेक्षिक हैं ; और "पथ विक्रय" शब्दों का उनके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "नगर विक्रय समिति" से धारा 22 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित निकाय अभिप्रेत है ;

(ढ) "विक्रय जोन" से पथ विक्रय के लिए पथ विक्रेताओं द्वारा विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अभिहित कोई क्षेत्र या कोई स्थान अथवा अवस्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पैदल पथ, पार्श्व मार्ग, सड़क की पटरी, तटबंध, किसी पथ का भाग, सार्वजनिक प्रतीक्षा क्षेत्र या कोई ऐसा स्थान भी है, जो विक्रय क्रियाकलापों के लिए और जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझा जाए ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय 2

पथ विक्रय का विनियमन

पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली या पुनःस्थापन से संरक्षण ।

3. (1) नगर विक्रय समिति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में विद्यमान सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करेगी और पश्चात्‌वर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा ।

(2) नगर विक्रय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं को जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, पथ विक्रय संबंधी योजना और विक्रय जोनों की धारण क्षमता के अनुसार, यथास्थिति, वार्ड या जोन या नगर या शहर की जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के अनुरूप किसी सन्नियम के अधीन रहते हुए विक्रय जोनों में स्थान सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

(3) किसी भी पथ विक्रेता को, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण के पूरा होने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र जारी होने तक, यथास्थिति, बेदखल या पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा ।

विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाना ।

4. (1) ऐसे प्रत्येक पथ विक्रेता को, जिसकी धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किए गए सर्वेक्षण के अधीन पहचान की गई है, और जिसने चौदह वर्ष की आयु या ऐसी आयु, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, पूरी कर ली है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रय संबंधी योजना में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों सहित स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा :

परंतु कोई व्यक्ति, चाहे उसे धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया हो या नहीं, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया गया है, चाहे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के अन्य रूप में ज्ञात हो (चाहे वह स्थिर विक्रेता या चल विक्रेता के रूप में हो या किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन हो) उस अवधि के लिए, जिसके

लिए ऐसे विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उस प्रवर्ग के लिए पथ विक्रेता समझा जाएगा ।

(2) जहां दो सर्वेक्षणों के बीच की मध्यवर्ती अवधि में कोई व्यक्ति विक्रय करने की ईप्सा करता है, वहां नगर विक्रय समिति, स्कीम, पथ विक्रय की योजना और विक्रय जोनों की धारण क्षमता के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति को विक्रय प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी ।

(3) जहां उन पथ विक्रेताओं की संख्या जिनकी उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है या उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने उपधारा (2) के अधीन विक्रय करने की ईप्सा की है, विक्रय जोन की धारण क्षमता से अधिक है और उन व्यक्तियों की संख्या से अधिक है, जिन्हें उस विक्रय जोन में स्थान उपलब्ध कराया जाना है, वहां नगर विक्रय समिति उस विक्रय जोन के लिए विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पर्चियां डालकर नाम निकालेगी और शेष व्यक्तियों को, पुनःस्थापन का परिवर्जन करने के लिए, किसी साथ लगे विक्रय जोन में स्थान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

विक्रय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की शर्तें ।

5. (1) प्रत्येक पथ विक्रेता, धारा 4 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पूर्व नगर विक्रय समिति से इस बात का एक वचनबंध करेगा कि—

(क) वह स्वयं या अपने कुटुंब के सदस्य के माध्यम से पथ विक्रय का कारबार करेगा ;

(ख) उसके पास जीविका के कोई अन्य साधन नहीं हैं ;

(ग) वह, किराया, विक्रय प्रमाणपत्र को या उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी भी रीति से, चाहे वह कोई भी हो, जिसके अन्तर्गत किराए पर देना भी है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा ।

(2) जहां ऐसे किसी पथ विक्रेता की, जिसको विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, मृत्यु हो जाती है या वह किसी स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो जाता है या बीमार हो जाता है, वहां उसके कुटुंब का कोई एक सदस्य निम्नलिखित पूर्विकता के क्रम में उसके स्थान पर विक्रय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तक विक्रय कार्य कर सकेगा—

(क) पथ विक्रेता का पति या पत्नी ;

(ख) पथ विक्रेता का आश्रित बालक :

परंतु जहां यह विवाद उत्पन्न होता है कि विक्रेता के स्थान में विक्रय कार्य करने के लिए कौन हकदार है, वहां उस मामले का विनिश्चय धारा 20 के अधीन समिति द्वारा किया जाएगा ।

विक्रय प्रमाणपत्र के प्रवर्ग और पहचान पत्रों का जारी होना ।

6. (1) विक्रय प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अधीन जारी किया जाएगा—

(क) कोई स्थिर विक्रेता ;

(ख) कोई चल विक्रेता ; या

(ग) कोई अन्य प्रवर्ग, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए जारी किया गया विक्रय प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और उसमें उस विक्रय जोन को, जहां पथ विक्रेता अपने विक्रय क्रियाकलाप करेगा, ऐसे विक्रय क्रियाकलापों को करने के दिनों और समय-सीमा को तथा उन शर्तों और निर्बंधनों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके अधीन रहते हुए वह ऐसे विक्रय क्रियाकलाप करेगा।

(3) प्रत्येक पथ विक्रेता को जिसे उपधारा (1) के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जारी किए जाएंगे जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

7. किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नगर विक्रय समिति द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानदंड ऐसे होंगे जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, स्त्रियों और निःशक्त व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों या ऐसे अन्य प्रवर्गों को, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिमान दिए जाने का उपबंध किया जा सकेगा । विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के मानदंड ।

8. प्रत्येक ऐसा पथ विक्रेता, जिसे विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसी विक्रय फीस का संदाय करेगा जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए । विक्रय फीस ।

9. (1) प्रत्येक विक्रय प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए । विक्रय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और नवीकरण ।

(2) प्रत्येक विक्रय प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, नवीकरणीय होगा ।

10. जहां कोई ऐसा पथ विक्रेता, जिसे इस अधिनियम के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उसकी किन्हीं शर्तों का या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का भंग करता है या जहां नगर विक्रय समिति का यह समाधान हो जाता है कि पथ विक्रेता द्वारा ऐसा विक्रय प्रमाणपत्र दुर्व्यपदेशन या कपट करके प्राप्त किया गया है, वहां नगर विक्रय समिति, किसी ऐसे अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन किसी पथ विक्रेता से उपगत किया जा सकता हो, विक्रय प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगी या उसे ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगी : विक्रय प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन ।

परंतु नगर विक्रय समिति द्वारा ऐसा कोई रद्दकरण या निलंबन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पथ विक्रेता को सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता ।

11. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने या धारा 10 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र के रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के संबंध में नगर विक्रय समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित है, स्थानीय प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा । नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता ।

अध्याय 3

पथ विक्रेताओं के अधिकार और बाध्यताएं

12. (1) प्रत्येक पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र में वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय क्रियाकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा । पथ विक्रेता के अधिकार ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां, यथास्थिति, किसी क्षेत्र या स्थान को विक्रय निषेध जोन के रूप में चिह्नांकित किया गया है वहां कोई भी पथ विक्रेता उस जोन में विक्रय संबंधी कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

13. प्रत्येक ऐसा पथ विक्रेता, जिसके पास विक्रय प्रमाणपत्र है, धारा 18 के अधीन उसके पुनःस्थापन की दशा में, अपने ऐसे विक्रय क्रियाकलाप करने के लिए, यथास्थिति, नवीन स्थल या क्षेत्र का हकदार होगा, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नगर विक्रय समिति के परामर्श से अवधारित किए जाएं । पुनःस्थापन पर नवीन स्थल या क्षेत्र के लिए पथ विक्रेता का अधिकार ।

14. जहां कोई पथ विक्रेता समय-विभाजन के आधार पर किसी स्थल का अधिभोग रखता है, वहां वह प्रति दिन, उसे अनुज्ञात समय-विभाजन अवधि की समाप्ति पर, अपने माल और सामान को हटा लेगा । पथ विक्रेताओं का कर्तव्य ।

186GI.—13

सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखना ।

15. प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय जोनों और उससे लगे हुए क्षेत्रों में सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखेगा ।

विक्रय जोन में नागरिक सुख-सुविधाओं को अच्छी दशा में बनाए रखना ।

16. प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय जोन में नागरिक सुख-सुविधाओं और सार्वजनिक संपत्ति को अच्छी दशा में बनाए रखेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या नष्ट नहीं करेगा या उसे नुकसान नहीं पहुंचवाएगा या नष्ट नहीं करवाएगा ।

अनुरक्षण प्रभारों का संदाय ।

17. प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय जोनों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख-सुविधाओं और सुविधाओं के लिए समय-समय पर ऐसे अनुरक्षण प्रभारों का संदाय करेगा जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित किए जाएं ।

अध्याय 4

पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन और बेदखली

पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन या बेदखली ।

18. (1) स्थानीय प्राधिकारी, नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर, किसी जोन या उसके भाग को किसी लोक प्रयोजन के लिए विक्रय निषेध जोन घोषित कर सकेगा और उस क्षेत्र में विक्रय करने वाले पथ विक्रेताओं को ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, पुनःस्थापित कर सकेगा ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे पथ विक्रेता को, जिसका विक्रय प्रमाणपत्र धारा 10 के अधीन रद्द कर दिया गया है या जिसके पास विक्रय प्रमाणपत्र नहीं है और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना विक्रय करता है, ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, बेदखल करेगा ।

(3) किसी भी पथ विक्रेता को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान से तब तक पुनःस्थापित या बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उसके लिए तीस दिन की सूचना ऐसी रीति में, जो स्कीम में, विनिर्दिष्ट की जाए, न दे दी गई हो ।

(4) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् खाली करने में असफल रहने के पश्चात् ही, ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, वस्तुतः पुनःस्थापित या बेदखल किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक पथ विक्रेता, जो विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान में सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनःस्थापन करने या उसे खाली करने में असफल रहता है, ऐसे व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ऐसी शास्ति का, जो दो सौ पचास रुपए तक की, जैसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, हो सकेगी, किन्तु अभिगृहीत माल के मूल्य से अधिक की नहीं होगी, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

माल का अभिग्रहण और वापस लिया जाना ।

19. (1) यदि पथ विक्रेता विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के व्यपगत होने के पश्चात् खाली करने में असफल रहता है, तो स्थानीय प्राधिकारी धारा 18 के अधीन पथ विक्रेता को बेदखल करने के अतिरिक्त, यदि वह आवश्यक समझे, ऐसे पथ विक्रेता के माल का ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां कोई ऐसा अभिग्रहण किया जाता है, वहां स्कीम में विनिर्दिष्ट रूप में अभिगृहीत माल की एक सूची तैयार की जाएगी और माल का अभिग्रहण करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति पथ विक्रेता को जारी की जाएगी ।

(2) पथ विक्रेता, जिसका माल, उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किया गया है, अपने माल को ऐसी रीति में और ऐसी फीस का, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने के पश्चात् वापस ले सकेगा :

49)

परंतु खराब न होने वाले माल की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी, पथ विक्रेता द्वारा किए गए दावे के दो कार्य दिवसों के भीतर माल को छोड़ देगा और खराब होने वाले माल की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी, पथ विक्रेता द्वारा किए गए दावे के दिन ही माल को छोड़ देगा ।

अध्याय 5

विवाद समाधान तंत्र

पथ विक्रेताओं की शिकायतों को दूर किया जाना या विवादों का समाधान किया जाना ।

20. (1) समुचित सरकार, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदनों के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, जो सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट रहा हो और दो अन्य वृत्तिकों से, जिनके पास ऐसा अनुभव हो जो विहित किया जाए, से मिलकर बनने वाली एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगी :

परंतु समुचित सरकार के किसी भी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी को, समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसको कोई शिकायत है या जिसका कोई विवाद है, उपधारा (1) के अधीन गठित समिति को लिखित में ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन कर सकेगा, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत या विवाद के प्राप्त होने पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापन और जांच करने के पश्चात्, ऐसी शिकायत को दूर करने या ऐसे विवाद का समाधान करने के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में उपाय करेगी जो विहित की जाए ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समिति के विनिश्चय से व्यथित है, स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो विहित की जाए ।

(5) स्थानीय प्राधिकारी, उपधारा (4) के अधीन प्राप्त अपील का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु स्थानीय प्राधिकारी अपील का निपटारा करने के पूर्व व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

अध्याय 6

पथ विक्रय योजना

पथ विक्रय संबंधी योजना ।

21. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी योजना प्राधिकारी के परामर्श से और नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पथ विक्रेताओं के व्यवसाय के संवर्धन के लिए पहली अनुसूची में अन्तर्विष्ट विषयों से युक्त एक योजना बनाएगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रय संबंधी योजना, समुचित सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी और वह सरकार, योजना को अधिसूचित करने के पूर्व पथ विक्रेताओं को लागू होने वाले मानदंड अवधारित करेगी ।

अध्याय 7

नगर विक्रय समिति

नगर विक्रय समिति ।

22. (1) समुचित सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक नगर विक्रय समिति की अवधि और उसके गठन की रीति का उपबंध कर सकेगी :

परन्तु यदि समुचित सरकार आवश्यक समझे तो वह प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में, एक से अधिक नगर विक्रय समितियों के या प्रत्येक जोन या वार्ड के लिए एक नगर विक्रय समिति के गठन का उपबंध कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) यथास्थिति, नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो चेयरपर्सन होगा ; और

(ख) समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उतने अन्य सदस्य जो विहित किए जाएं जो स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण का चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकारी, यातायात पुलिस, पुलिस, पथ विक्रेता संगम, बाजार संगम, व्यापारी संगम, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, निवासी कल्याण संगम, बैंक और ऐसे अन्य हितों का, जो वह उचित समझे, प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी ;

(घ) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी जो स्वयं पथ विक्रेताओं द्वारा ऐसी रीति में निर्वाचित किए जाएंगे, जो विहित की जाए :

परंतु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक-तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे :

परंतु यह और कि पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट चेयरपर्सन और सदस्य ऐसे भत्ते अभिप्राप्त करेंगे जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

नगर विक्रय समिति की बैठकें ।

23. (1) नगर विक्रय समिति की बैठकें स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर ऐसे समय और स्थानों पर होंगी और वह अपनी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं ।

(2) नगर विक्रय समिति का प्रत्येक विनिश्चय, ऐसा विनिश्चय करने के कारणों सहित, अधिसूचित किया जाएगा ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जाना ।

24. (1) नगर विक्रय समिति इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह की वह वांछा करे अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयुक्त कर सकेगी, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयुक्त व्यक्ति को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

नगर विक्रय समिति के लिए कार्यालय स्थल और अन्य कर्मचारी ।

25. स्थानीय प्राधिकारी, नगर विक्रय समिति को समुचित कार्यालय स्थल और उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जितने विहित किए जाएं ।

पथ विक्रेता चार्टर और डाटा-बेस का प्रकाशन और सामाजिक संपरीक्षा का किया जाना ।

26. (1) प्रत्येक नगर विक्रय समिति, पथ विक्रेता चार्टर का प्रकाशन करेगी जिसमें उस समय को, जिसके भीतर किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस समय को, जिसके भीतर ऐसे विक्रय प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा और उन अन्य क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किए जाने होंगे ।

(2) प्रत्येक नगर विक्रय समिति, रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं और ऐसे पथ विक्रेताओं के जिनको विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, अद्यतन अभिलेख जिनमें पथ विक्रेता